eastern Madhya Pradesh and solicited and approval of Govt. of India on:—

(1) Permission to award a prospecting licence for diamonds over an area of 17,300 Sq. Kms. in favour of De Beers (India) Prospecting Ltd.

(2) A prospecting licence in favour of CRA for 7,960 Sq. Kms. over an area applied for by CRA which has not already been given to De Beers (India) Prospecting Ltd.

(3) A prospecting licence for 1,465 Sq. Kms. in favour of AMIL as De Beers and CRA have not applied for it.

In the meantime, as part of liberalization under National Mineral Policy, 1993, Government of India issued new guidelines whereby the area under prospecting licence which a company could hold was increased from 25 Sq. Kms. to 10,000 Sq. Kms. Central Government returned all the three above mentioned proposals asking the State Government to re-examine and re-submit these proposals in the light of the above mentioned guidelines issued on 30.10.1996.

However, on 6.2.1997, the State Govt. of Madhya Pradesh informed Government of India that all three above mentioned proposals for grant of prospecting licence in favour of M/s. De Beers, M/s. Ashton and CRA may be treated as cancelled.

On 29.4.97 a proposal was received from State Govt. of Madhya Pradesh asking the Central Govt. to ratify the action taken by Madhya Pradesh in appointing Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. as the sole agent for exploration and exploitation of diamond in 11 districts of Madhya Pradesh done under Rule 75 of Mineral Conression Rules, 1960. The proposal was examined and was returned to the State Govt. of Madhya Pradesh as it was not consistant with provisions of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and the rules made thereunder.

As on date no proposal for grant of mineral concessions for diamonds from Madhya Pradesh is pending with the Central Government.

(b) Mining rights are granted by the concerned State Governments in accordance with provisions of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, and the rules made thereunder. As per the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, mining rights can be given only to an Indian National or a company defined in sub-section (1) of Section (3) of the 'Companies' Act, 1956. Provided that in respect of any mineral specified in the 1st Schedule of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, no prospecting licence or mining lease shall be granted except with the previous approval of the Central Government. "Diamonds" are covered under the aforesaid 1st Schedule of the Act.

(c) As per the information furnished by State Government of Madhya Pradesh, the Government of Madhya Pradesh has now invited offers from companies registered in India by issuing advertisement in various news papers dated 10.10.1997 for formation of Joint Venture Company (JVC) with the M.P. State Mining Corporation, for undertaking operation and subsequent mining of the diamonds in the State of Madhya Pradesh.

पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश

*68. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे अनुरोधों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

(कल्याण मंत्री श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) अन्य पिछड़े वर्गों को प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी दिशा निर्देश, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं जैसा कि विवरण पर है **(नीचे देखिये)**

(ख) और (ग) जी, नहीं। चूंकि अन्य पिछड़े वर्गों को प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी विषय संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए आवश्यक जांच करने के बाद कम से कम सम्भव समय में इन प्रमाण-पत्रों को जारी करने की उनसे आशा की जाती है।

विवरण

संख्या—36012 / 22 / 93—स्था० (अनु०जा०)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15.11.93

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य सचिव।

विषयः अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण-भारत सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के आशय से संपन्न वर्ग का अपवर्जन-उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने अपने अधीन आने वाली सेवाओं तथा पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था के विषय में 8.9.93 को अनुदेश जारी किए हैं (इस का०ज्ञा० की एक प्रति संलग्न है। उक्त आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों में वे जातियां तथा समुदाय सम्मिलित होंगे, जिनके नाम मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों तथा राज्य सरकार की सूची दोनों में दिए गए हैं। ऐसी जातियों तथा समुदायों की सूची दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011 / 68 / 93—बी०सी०सी०) में अधिसूचित की गई थी। जातियों तथा समुदायों के सत्यापन के लिए भारत सरकार ने इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के का०ज्ञा० सं० 36012 / 22 / 93—स्था० (अनु०जा०) (प्रति संलग्न) के द्वारा अनु०जा० / अनु० जनजाति के मामले में निम्नलिखित प्राधिकारियों से जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र निर्धारित किया है:

(क) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक (स्टाइपैन्डरी) मजिस्ट्रेट / उप मण्डल मजिस्ट्रेट / ताल्लुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त (एक्सट्रा) सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न हो)।

(ख) मुख्य प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(ग) कम से कम तहसीलदार के स्तर का राजस्व अधिकारी।

(घ) उस क्षेत्र का उप मण्डलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

2. इन्दिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर इस विभाग ने उन व्यक्तियों / वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को विनिर्दिष्ट किया है जिन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के का०ज्ञा० सं० 36012 / 22 / 93—स्था०(अनु०जा०) की अनुसूची के कॉलम 3 द्वारा आरक्षण का लाभ लागू नहीं होगा। इस बात पर सोच-विचार किया गया है कि उन प्राधिकारियों को जिन्हें अन्य पिछड़े वर्ग का है" यह प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है, को यह प्रमाणित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाए कि उम्मीदवार का सम्बन्ध "सम्पन्न वर्ग" से नहीं है। अतः अनुरोध है कि आप अपने नियंत्रणाधीन जिला प्राधिकारियों को यह अनुदेश दें कि वे उम्मीदवारों को "अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित होने "तथा साथ ही साथ" सम्पन्न वर्ग में न आने" के बारे में अपेक्षित प्रमाण का सत्यापन करें तथा प्रमाणपत्र जारी करें। जिला प्राधिकारी उम्मीदवारों के दावों की जांच कर पायें इस हेतु एक मॉडल प्रपत्र तैयार किया गया है जो अनुबन्ध "ख" पर उपलब्ध है। इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किए जा सकते हैं। सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र अनुबन्ध "क" पर उपलब्ध प्रपत्र के रूप में हो सकता है।

3. यह भी अनुरोध है कि दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित पिछड़ी जातियों की सूची से संबंधित दिनांक 10.9.93 के कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं० 120118 / 68 / 93— बी० सी०सी०(सी०) तथा

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.8.93 के का०ज्ञा० सं० 36012 / 22 / 93-स्था० (अनु०जा०) का व्यापक प्रचार किया जाए जिसमें वे मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए है जिसके अनुसार उन व्यक्तियों का निर्धारण होगा जो सम्पन्न वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिनपर आरक्षण लागू नहीं होगा। इससे उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह भी उपयुक्त होगा कि इस सम्बन्ध में प्रमाणन अधिकारियों को उचित जानकारी दी जाए और साथ ही उन्हें उपर्युक्त गजट अधिसूचना की तथा इस विभाग के दिनांक 8.9.93 के का०ज्ञा० की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि शीघ्र तथा सही प्रमाणीकरण सुनिश्चित हो सके।

4. इस सम्बन्ध में आपकी सरकार द्वारा जारी आदेशों की एक प्रति भी इस विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित की जाए।

भवदीया,

(श्रीमती सरिता प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पत्र।

(इस फार्म का उपयोग केवल मॉडल के रूप में किया जाए। यदि अतिरिक्त मदें आवश्यक हों तो उन्हें फार्म में स्थानीय स्थिति के अनुसार जोड़ दिया जाए)

सेवा में,

_____

_____

_____

_____

महोदय,

अनुरोध है कि मुझे भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों का आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए।

मेरे आवश्यक ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

1. आवेदक का पूरा नाम:
(मोटे अक्षरों में)

2. जन्म तिथि

3. घर का पूरा पता
(क) वर्तमान
(ख) स्थायी

4. धर्म

5. जाति

6. उप-जाति

7. व्यावसायिक समूह

8. अन्य पिछड़ी श्रेणियों की केन्द्रीय सूची में जाति की क्रम संख्या

9. पिता का नाम

10. माता का नाम

पिता माता पति

(क) संवैधानिक पद

(1) पदनाम

(ख) सरकारी सेवाएं

पिता माता पति

(i) सेवा (केन्द्रीय / राज्य)

(ii) पदनाम

(iii) वेतनमान वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो तो

(iv) पद पर नियुक्ति की तारीख

(v) श्रेणी 1 पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू हो)

ii. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में नौकरी जैसे: यू०एन०, यूनिसेफ, डब्ल्यू०एच०ओ०

(i) संगठन का नाम

(ii) पदनाम

(iii) सेवावधि

————————————से————

————————तक की तारीख दर्शाएं)

iii मृत्यु/स्थायी अशक्तता (यदि लागू न हो तो हटा दें)

(i) मृत्यु/स्थायी अशक्तता के कारण अधिकारी को सेवा से बाहर करने की तारीख

(ii) स्थायी अशक्तता के ब्यौरे

(ग) **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में रोजगार**

(i) संगठन का नाम

(ii) पदनाम

(iii) पद पर नियुक्ति की तारीख

(घ) **अर्द्ध सैनिक बल सहित सशस्त्र सेना (सिविल पद धारित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है)**

(i) पदनाम

(ii) वेतनमान

(ङ) **व्यवसायिक श्रेणी/वर्ग [मद संख्या (ख) तथा (ग) में शामिल से भिन्न] तथा जो व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग में लगे हैं।**

1. व्यवसाय/पेशा

(च) **सम्पत्ति धारक**

(च). 1 कृषि जोत क्षेत्रः जिसके स्वामी माता-पिता तथा अव्यस्क बच्चे हैं।

(i) स्थान

(ii) जोत क्षेत्र का आकार

(iii) (क) सिन्चित

(सिंचित भूमि की किस्म)

(i)

(ii)

(iii)

(ख) असिंचित

कैम से कम तहसीलदार के जिला राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

(iv) राज्य भूमि सीमा नियमों के अधीन कानूनी ऊपरी सीमा के सन्दर्भ में सिंचित जोत क्षेत्र की प्रतिशतता।

(v) यदि जोत क्षेत्र सिंचित/असिंचित दोनों है तो राज्य भूमि सीमा नियमों से परिवर्तन सूत्र के आधार पर कुल सिंचित जोत क्षेत्र।

(vi) उपरोक्त (iv) के अनुसार कानूनी ऊपरी सीमा की तुलना में कुल सिंचित जोत क्षेत्र की प्रतिशतता।

(छ) ii. **बागान**

(i) फसलें/फल

(ii) स्थान

(iii) बागान का क्षेत्रफल

(छ) iii. **खाली भूमि और/या शहरी तथा उपनगरीय क्षेत्रों में इमारतें**

(i) सम्पत्ति का स्थान

(ii) सम्पत्ति का विवरण

(iii) यह किस प्रयोग में लाई जा रही है।

(ज) **आय/सम्पति**

(i) सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय (वेतन तथा कृषि भूमि से हुई आय को छोड़कर)

(ii) क्या कर दाता है (हां/नहीं)
(यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की विवरणी की एक-एक प्रति लगाएं)

(iii) क्या सम्पत्ति कर अधिनियम में शामिल है (हां/नहीं)
(यदि हां, तो विवरण दें)

(ङ) अन्य कोई अभियुक्ति।

(च) मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहां तक मुझे ज्ञात है, सही है तथा मैं अन्य पिछड़ी जातियों में "सम्पन्न वर्ग" से नहीं हूं और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित पदों पर विचारण हेतु पात्र हूं। मैं समझता हूं कि किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने पर अथवा चयन के पहले या बाद अपात्र पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द की जा सकती है तथा मेरे विरूद्ध कानून और/अथवा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार आगे कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थानः ——————————

दिनांकः——————————

Financial aid/loan for upliftment of OBCs

*69. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have set up an organisaiton to provide financial aid/